



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)



Accd
10-12-21

क0एफ.139(49)जीएसएस/जयपुर/विधि/पंरा/21/967

दिनांक 02/12/21

अति0मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, जयपुर।

विषय:-33 केवी जी.एस.एस. बागावास अहिरान हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक 1732 दिनांक 04.10.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि राजस्थान पंचायती राज विभाग 1996 के नियम 162(2) के प्रावधानों के अनुसार सरकारी संस्थाओं को ही निःशुल्क भूमि आवंटन किये जाने का प्रावधान है। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड इस श्रेणी में नहीं आता है। यदि इस निगम को जी0एस0एस0 हेतु पंचायत की उक्त आबादी भूमि की आवश्यकता है, तो वांछित भूमि संबंधित ग्राम पंचायत से नियमानुसार क्रय कर सकता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

उपायुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)